कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक़), ऑडिट भवन

अहमदबाद, गुजरात

डब्लू-एम-I/एन.पी.एस/२०२१/

दिनांक:- 17/08/2021

परिपत्र संख्या.10दिनांक: 19.08.2021

विषय:- खंडीय लेखाकारों के डिमांड ड्राफ्ट में आने वाली दुश्वारियों/त्रुटियों के सम्बन्ध में अवगत करवाना |

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक़) कार्यालय के अधीन कार्यरत सभी खंडीय लेखाकारों (जो की न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते है) और उनके प्रभारी आधिकारी (executive engineer) को सूचित किया जाता है :-

बिल्स अनुभाग (ले एव हक.) को गुजरात राज्य के विभिन्न खंडो (Divisions) में कार्यरत खंडीय लेखाकारों के डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त होते है | बिल्स अनुभाग (ले एव हक.) को डिमांड ड्राफ्ट को वेतन एव लेखा (PAO) अनुभाग में भेजने से पहले आने वाली दिक्कतो/कठिनाईयों का विस्तारपूर्वक ब्यौरा इस परिपत्र के माध्यम से खंडीय लेखाकारों और उनके प्रभारी आधिकारी के ध्यान मे लाया जा रहा है ताकि भविष्य में बिल्स अनुभाग (ले एव हक.) को ऐसी समस्याओ का सामना ना करना पड़े |

(i) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले एव हक.) अंतर्गत आने वाले गुजरात राज्य के **सभी खंडो (Divisions) से अनुरोध है कि अपने खंड (Division) में कार्यरत सभी खंडीय लेखाकारों (Divisional Accountant) के चेक (Cheque) के स्थान पर डिमांड ड्राफ्ट (DD) ही भेजे** क्योंकि चेक क्लियरेंस में जाता है जिस वजह से उसे क्रेडिट होने में बहुत समय लगता है | अतः सभी खंड (Division) सम्बंधित खंडीय लेखाकारों का डिमांड ड्राफ्ट ही भेजे |

(ii) तक़रीबन सभी खंड (Division) खंडीय लेखाकारों (Divisional Accountant) के डिमांड ड्राफ्ट के साथ Annexure-III एव IV की केवल एक प्रतिलिपि भेजी जाती है | **सम्बंधित खंडो (Divisions) से गुजारिश है कि Annexure-III एव IV की तीन प्रतिलिपि भेजे ताकि एक प्रतिलिपि बिल्स अनुभाग, एक वेतन एव लेखा अनुभाग तथा एक प्रतिलिपि बैंक में भेजी जा सके | भविष्य में एक प्रतिलिपि भेजे जाने पर डिमांड ड्राफ्ट को मान्य नही किया जाएगा एव तुरंत प्रभाव से लौटा दिया जायेगा** | विदित रहे तीनो प्रतिलिपिया अलग-अलग पिन अप करके भेजे |

(iii) **खंडो की तरफ से आने वाले डिमांड ड्राफ्ट (DD) को तीन से चार जगह तक स्टेपल पिन से पिन अप किया जाता है | ऐसा करने से डिमांड ड्राफ्ट के फटने का खतरा बना रहता है** | जहा तक संभव हो सके तीनो प्रतिलिपियो में से किसी एक प्रतिलिपि के साथ पेज के बीच में अच्छे से पिन अप करके भेज दे |

(iv) **डिमांड ड्राफ्ट भेजने से पहले सम्बंधित डिवीज़न के लिपिक, खंडीय लेखाकार और सम्बंधित उतरदाई अधिकारी सुनिश्चित कर ले कि जिस माह का डिमांड ड्राफ्ट भेजा जा रहा है उसी माह का नाम forwarding page और Annexure-III एव IV में एकसमान इंगित किया गया है** | उदहारणतय बहुत से डिवीज़न से आने वाले डिमांड ड्राफ्ट को forwarding page में जनवरी माह के नाम अंकित किया गया है जबकि Annexure-III एव IV में अप्रैल माह के नाम अंकित किया है | इस दुविधा को दूर करने की जिम्मेवारी सम्बंधित डिवीज़न के अधिकारी की है |

(v) **डिमांड ड्राफ्ट भेजने से पहले सम्बंधित डिवीज़न के डी डी ओ या सेक्शन ऑफिसर सुनिश्चित कर ले कि डिमांड ड्राफ्ट की तीन माह की अवधि समाप्त होने के कगार पर ना हो |** कुछेक अवसर पर ऐसा भी पाया गया है कि डिमांड ड्राफ्ट की अवधि खत्म होने की कगार पर होती है जिससे बिल्स अनुभाग एव वेतन एव लेखा अनुभाग के अथक प्रयास के बावजूद डिमांड ड्राफ्ट को बैंक द्वारा वापिस लौटा दिया जाता है क्योंकि बैंक तक पहुचने से पहले ही उनकी तीन माह की अवधि समाप्त हो जाती है |

(vi) अक्सर देखा गया है कि डिवीज़न से आने वाले खंडीय लेखाकारों के मुख्य पृष्ठ (forwarding page) पर अलग नाम और Annexure-III एव IV में अलग नाम रहता है | मुख्य पृष्ठ पर पूरा नाम रहता है जबकि Annexure-III एव IV में नाम शोर्ट में लिख दिया जाता है | **सभी डिवीज़न से अनुरोध है कि नाम एक समान ही forwarding page और Annexure-III एव IV में होना चाहिए ताकि बिल्स अनुभाग, वेतन एव लेखा अनुभाग को दुविधा ना हो |**

(vii) डिवीज़न से आने वाले डिमांड ड्राफ्ट और Annexure-III एव IV में कई खंडीय लेखाकारों के अंतर पाया जाता है | Annexure-III एव IV में मूल वेतन + महगाई भत्ता का @10% (कर्मचारी अंशदान) और @14% (सरकार अंशदान) मेल नही खाता है | **डिवीज़न उसी पुराने मूल वेतन एव महगाई भत्ते का @10% एव @14% क्रमशः भेज देता है जो सम्बंधित कर्मचारी/अधिकारी को उसकी वेतनवृद्धि/पदोन्नति से पहले मिलता था, जबकि DD नए वेतनमान के अनुसार आता है | अतः भविष्य में ऐसा होने पर डिमांड ड्राफ्ट मान्य नही किया जायेगा तथा तुरंत प्रभाव से लौटा दिया जायेगा |**

वरिष्ठ लेखाधिकारी/ डब्लू.एम-I

निम्लिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित है

1. प्रभारी अधिकारी (executive engineer concerned)
2. न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले खंडीय लेखाकार (DAO/DA)